फर्द अहकाम

कृपामोहन बनाम सीताराम वगै०

नाम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जलालाबाद शाहजहाँपुर

वाद संख्या 235/2014

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	9/2/14	पत्रावली पेश हुई अधिवक्ता संघ द्वारा हड़ताल/कार्य का बहिष्कार किये जाने के कारण पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 26/4/14 पेश हो	
	26/4/14	पत्रावली पेश हुई। वकील उपस्थित आये। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली की निर्णीत अपील की नकल मांगी गई पेशी पर आवश्यक रूप से पेश करें। पत्रावली दिनांक 14/5/14 को पेश हो	
	14/5/14	पत्रावली पेश हुई। वकील उपस्थित आये। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 5/6/14 को पेश हो	
	5/6/14	पत्रावली पेश हुई। P.O. [illegible] कार्य से बाहर पत्रावली पूर्वानुसार वास्ते ~~तलबी / जवाब~~ दिनांक 18/7/14 को पेश हो।	
	15/7/14	पत्रावली पेश हुई, अधिवक्ता संघ द्वारा हड़ताल/कार्य का बहिष्कार करने के कारण पूर्वानुसार दिनांक 1/8/14 पेश हुई	

फर्द अहकाम

बनाम

नाम न्यायालय

केस संख्या

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से
	01/08/24	[illegible] पत्रावली पेश हुई, अधिवक्ता संघ [illegible] [illegible] ओलेस / कार्य का बहिष्कार करने [illegible] पूर्वानुसार दिनांक [illegible] पेश 23/08/24
	23/8/24	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी पक्ष उपस्थित। प्रतिवादीगण को आज इनको बार-बार आवाज लगवाई गई तथा इन्तजार किया गया लेकिन उप० नहीं। अत: प्रतिवादी सं० 01 लगायत 03 के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। वकील प्रतिवादी ने आज भी जवाब पेश नहीं किया अत: जवाब बन्द किया जाता है। वकील उभय पक्षों की बहस आंशिक सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली वास्ते आदेश हेतु दिनांक 27/8/24 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़ जिला-जयपुर
	27/8/24	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। पत्रावली आदेश में

फर्द अहकाम

बनाम

य

नांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विरस्तृत रुप से	विशेष वियरण
	विचाराधीन प्रकरण पत्रावली का अवलोकन किया गया। तथा वकील आवेदक पक्षकार की बहस का श्रवण किया गया। अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188 राज० काश्तकारी अधि० को स्वीकार किया जाता है तथा पत्रावली के अतिरिक्त निर्णय पृथक से लिखकर शामिल मिसल किया गया। निर्णयानुसार डिक्री मुरत्तब किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नतीजा से दर्ज हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो [signature] उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़ जिला-जयपुर	

(Y2)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ़, जिला जयपुर ग्रामीण
पीठासीन अधिकारी : श्री ललित मीना RAS

मिसल नं0	दायर दिनांक	फैसला दिनांक
242/2014	16/10/2014	27/08/2024

1. बृजमोहन पुत्र गंगासहाय रैगर जाति रैगर निवासी गणेश कॉलोनी ग्राम नोनपुरा, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।

वादी

बनाम

1. सीताराम शर्मा पुत्र कन्हैयालाल शर्मा निवासी बोरिका की ढाणी, ग्राम चावण्डिया तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर।
2. रामगोपाल पुत्र श्योनाथ शर्मा निवासी ग्राम खतेहपुरा तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर।
3. मंजू जोजे पत्नि मनोज कुमार निवासी 22 कैलाशपुरी गोलीमार गार्डन के पास आमेर रोड, जयपुर जिला जयपुर।
4. राज्य सरकार जरिए तहसीलदार, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।
5. बाबूलाल यादव पुत्र बालाराम यादव उम्र 50वर्ष जाति यादव निवासी ए–2 कृष्णा नगर विस्तार करतारपुरा जयपुर जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

उपस्थित अभिभाषक
श्री सत्यनारायण माहेश्वरी :– वकील वादी।
श्री रामकरण शर्मा :– वकील प्रतिवादी सं0 5

दावा बाबत स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 आर0टी0एक्ट

वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद विरूद्व प्रतिवादीगण इस कथन के साथ पेश कर निवेदन किया कि वादी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 8 रकबा 1.52है0 ग्राम खतेहपुरा पटवार हल्का बूज तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर में स्थित है। प्रतिवादीगण को कोई संबंध सरोकार उक्त वादांकित भूमि से नही है, तथा प्रतिवादीगण वादी की भूमि पर जबरन कब्जा करने पर उतारू है तथा प्रतिवादीगण बाहुबल में अधिक होने से वादी की उक्त भूमि पर कब्जा करने पर आमादा रहते है तथा वादी को काश्त करने में दखल उत्पन्न करते है तथा वादी के उक्त भूमि पर जबरन अतिक्रमण करने की कोशिश में लगे हुये है तथा वादी की भूमि के लगवा भूमि खसरा नम्बर 67, 28, 69 में अवैध कॉलोनी काटने की कोशिश कर रहे है। तथा वादी की भूमि में से सडक निर्माण करने पर उतारू है एवं उक्त भूमि पर जबरन निर्माण करने पर आमादा है परन्तु वह बिना अधिकार के वादी को उसकी उक्त खातेदारी भूमि में आये दिन दखल उत्पन्न करते है। प्रतिवादीगण को कोई अधिकार नही कि वह उक्त भूमि पर जबरन कब्जा करें, तथा उसमें से कॉलोनी हेतु सडक निर्माण करें, काश्त में दखल उत्पन्न करे परन्तु वे वादी की भूमि को हडपने की नियत से जबरन दखल करते रहते है। इसलिए उन्हे उक्त अधिकार विहिन एवं अवैधानिक कार्य से रोकने के लिए पाबन्द करवाने हेतु यह वाद पेश करना आवश्यक हुआ है। अतः प्रतिवादीगणों को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि उक्त वर्णित भूमि में वादी को उसके उपयोग उपभोग मे बाधा उत्पन्न नही करें, उनके काश्त में दखल नही करें, तथा उक्त भूमि मे से किसी प्रकार का कच्चा पक्का रोड व रास्ता नही निकाले तथा किसी प्रकार का कच्चा पक्का निर्माण नही करें। तथा मौके की यथास्थिति बनाये रखें।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ जिला–जयपुर

दावा वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगणों को जरिये नोटिस रजिस्टर्ड डाक से करवाई जाकर तलब किया गया। प्रतिवादीगण सं0 1 लगायत 3 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहें। इनको बार–बार आवाज लगवाई गई तथा इन्तजार किया लेकिन उपस्थित नही हुये। अतः प्रतिवीगण सं0 1 लगायत 3 के विरूद्व एक तरफा कार्यवाही अमल में लाइ गई। प्रतिवादी सं0 5 ने जरिये अधिवक्ता श्री रामकरण शर्मा के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 सी0पी0सी0 पेश कर पक्षकार बना। वकील प्रतिवादी सं0 5 ने जवाब दावा पेश नही किया। अतः वकील प्रतिवादी का जवाब बन्द किया गया। वकील उभय पक्षो की बहस सुनी गई।

वकील उभय पक्षों की बहस सुनने व पत्रावली में उपलब्ध वादी का वाद पत्र एवं अन्य दस्तावेजात का अवलोकन करने पर वादी का वाद अन्तर्गत धारा 188 आर0टी0एक्ट को स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि ग्राम खतेहपुरा, पटवार हल्का बूज, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर में वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 8 रकबा 1.52है0 में वादी को उसके उपयोग उपभोग मे बाधा उत्पन्न नही करें, उनके काश्त में दखल नही करें, तथा उक्त भूमि मे से किसी प्रकार का कच्चा पक्का रोड व रास्ता नही निकाले तथा किसी प्रकार का कच्चा पक्का निर्माण नही करें। तदनुसार डिक्री जारी हों।

निर्णय मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर आज दिनांक 27/08/2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ, जयपुर

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ जिला जयपुर

डिक्री मुकदमा इबलाई
(ओ0 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)
आज अदालत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ जिला जयपुर राज0

बृजमोहन बनाम सीताराम वगै0

(वाद अन्तर्गत धारा 188, वाद बाबत स्थाई निषेधाज्ञा राज0 काश्तकारी अधिनियम)

मुकदमा नम्बर 242/2014 निर्णय दिनांक 27.08.2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू बहाजिरी श्री ललित मीना आर.ए.एस. व हाजिर श्री सत्यनारायण माहेश्वरी वकील वादी एवं श्री रामकरण शर्मा वकील प्रतिवादी सं0 5 निजातिब मुदालय रूबरू बहाजीरी पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी का वाद अन्तर्गत धारा 188 आर0टी0एक्ट को स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि ग्राम खतेहपुरा, पटवार हल्का बूज, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर में वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 8 रकबा 1.52है0 में वादी को उसके उपयोग उपभोग मे बाधा उत्पन्न नही करें, उनके काश्त में दखल नही करें, तथा उक्त भूमि मे से किसी प्रकार का कच्चा पक्का रोड व रास्ता नही निकाले तथा किसी प्रकार का कच्चा पक्का निर्माण नही करें।तदनुसार डिक्री जारी हों।

डिक्री आज दिनांक 27/08/2024 को कार्यालय की मोहर से जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ जिला-जयपुर
उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ, जयपुर

मिलान स्टाप अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुदई	रूपये	पैसे	मुदई	रूपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजूह सबूत			स्टाम्प वजूह सबूत		
महन्ताना वकील			महन्ताना वकील		
खर्चा गवहान			खर्चा गवहान		
बबतहजराय हुक्मनामा			बबतहजराय हुक्मनामा		
मुत			मुत		
मिलान			मिलान		

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ जिला-जयपुर
उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ, जयपुर